

प्रेषक,

रमेश चन्द्र घिल्डियाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा (6) अनुभाग

लेखनक: दिनांक: 04 जून 10

विषय:-मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत लागू साप्ताहिक मेनू से मीठा चावल को हटाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत वर्तमान में लागू साप्ताहिक मेनू में सप्ताह में बुधवार एवं शनिवार को कढ़ी-चावल/सब्जी-चावल-सोयाबीन/खीर/मीठा चावल निर्धारित है। प्रायः निरीक्षण में यह पाया जाता है कि छात्रों को खीर उपलब्ध नहीं कराकर अधिकतर मीठा चावल ही उपलब्ध कराया जाता है। मीठा चावल में केवल चावल को पानी में पकाकर एवं चीनी मिलाकर तैयार किया जाता है। जिससे छात्रों को उपलब्ध कराये जाने वाले खद्यान्न की निर्धारित मात्रा से उनको निर्धारित ऊर्जा तो प्राप्त होती है किन्तु प्रोटीन एवं सूक्ष्म पोषक तत्व अत्यंत ही सूून मात्रा में प्राप्त होते हैं।

2-अतः शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत साप्ताहिक मेनू से मीठा चावल को हटाये जाने का निर्णय लिया गया है। कृपया अब साप्ताहिक मेनू को इस सीमा तक संशोधित मानते हुए विद्यालयों में भोजन का वितरण सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय

(रमेश चन्द्र घिल्डियाल)

संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निदेशक, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण को उनके पत्रांक-स0भो0प्रा0/232/200190-11 दिनांक-30.4.2010 के क्रम में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इस संबंध में अपने स्तर से भी आवश्यक निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र घिल्डियाल)

संयुक्त सचिव।